

From No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

दिल्ला खां बनाम अतरी वगै०

हुक्म का कार्यवाही नय इनाशियल्य जज
प्रार्थना नं -212 संख्या वर्ष 2018

नम्बर व तारीख अहकाम
जो इस हुक्म की
तारीख में जारी हुए

तारीख
हुक्म

08.10.2018

आज यह पत्रावली नूल दावा के साथ पेश हुई। अनयपक्ष उपस्थित है
को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम
दृष्टया इतना है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है।

उक्त दोनों पक्षों को आगामी दिनांक 16.10.2018 तक अस्थाई निषेधाज्ञा
चन्द्रराज से प्रवृत्त किया जाता है कि खसरा नम्बर 1056 रकबा 0.30है०,
1674/78 रकबा 0.26है०, 622/1615 रकबा 0.15है०, 659 रकबा 0.16है०, 1038
रकबा 0.25है०, 1039 रकबा 0.25है०, 43 रकबा 0.11है०, 84 रकबा 0.14है०, 656
रकबा 0.16है०, 660 रकबा 0.19है०, 722 रकबा 0.09है०, 837 रकबा 0.48है०, 1029
रकबा 0.14है०, 1314 रकबा 0.20है०, 78 रकबा 0.26है० वाके ग्राम चावण्डीकला
तहसील तिजारा जिला अलवर का आगामी तिथि 16.10.2018 तक
बैधान/हस्तानान्तरण ना करें।

क्यों न उक्त आदेश ताफैसला वाद **Absolute** कर दिया जायें?
कोई उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जय अथवा जय अथवा जय अथवा जय अथवा जय अथवा जय
करें। दकील प्रार्थी वास्तं तलबी अप्रार्थी के नोटिस तलबाने जारी करा पो० रसीद
आगामी पेशी पर पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है पत्रावली वाद के
साथ पेश हो।

16/10/18

पत्रावली का कार्यवाही करीब 20/10/18
तक हो कर पेश हो। दिनांक.....
को पेश हो।

22/10/18

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (अधिकारी
तिजारा (अलवर)

